पत्रांक ....   दिनांक ....

E Content: History, B.A. Hons. Paper III, Deg. II
History of India – (1206–1757 AD)

Prof. Poonam Chaudhury
Chief Coordinator History,
N.O.U.

Q) What was the Mansabdari System of Akbar? What were its main features?
(Akbar) अकबर का मनसबदारी व्यवस्था क्या था? इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं?

Ans.) अकबर एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। वह सम्पूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अतः इसके लिए उसे एक विशाल, सुसंगठित सेना की आवश्यकता थी। अतः अकबर के लिए सेना को नये सिरे से संगठित करना अति आवश्यक हो गया। अकबर के सैन्य संगठन को देखते हुए लेनपूल ने लिखा है – "अकबर ने सैनिक व्यवस्था के पुराने संकटों और भ्रष्टाचार को दूर करने का भारी प्रयास किया।" उसने अपनी सेना को चार भागों में विभाजित किया – (i) मनसबदार (ii) अहदी (iii) दाखिली (iv) स्थायी

मनसबदारी प्रथा – मनसब अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ 'पद' या 'स्थान' होता है। अकबर के शासन-काल में वे व्यक्ति जो शाही सेना में उपस्थित होते थे, उनको सम्राट की ओर से पद दिया जाता था, उन्हें ही मनसब कहा जाता था। इन पदों के प्राप्तकर्ताओं को मनसबदार कहते थे। उनके पद, वेतन तथा शाही दरबार में उनके स्थान का पता उनके मनसब के द्वारा ही लगाया जा सकता था। एस० एल० सीकरी के अनुसार – "मनसबदारी मुगल राज्य व्यवस्था में किसी भी पदाधिकारी

का वह पद था जिसके द्वारा अधिकारी वर्ग में उसके दर्जे, वेतन और दरबार में प्राप्त उसके स्थान को बताता था।"

मनसबदारी प्रथा की प्रमुख विशेषतायें —

प्रत्येक मनसबदार को निश्चित सेना रखना अनिवार्य होता था, परन्तु यह आवश्यक नहीं था कि वे अपने पद के बराबर ही सैनिक रखें। उदाहरणस्वरूप 5000 के मनसबदार को 5000 सैनिक रखना अनिवार्य नहीं था। वे 500 सैनिक भी रख सकते थे।

अकबर के शासन काल में शासन तथा सेना के पदाधिकारी अलग-अलग नहीं थे। शासन का उच्च पदाधिकारी चाहे वह किसी भी विभाग का हो, सर्वप्रथम वह सैनिक होता था, तथा उसे सेना में पद होता था। समय पड़ने पर 'हरम' की देखभाल करने वाला पदाधिकारी भी युद्ध-भूमि में जाता था और इन सभी पदाधिकारियों को मनसबदार का पद प्राप्त था। राजा टोडरमल एवं बीरबल को भी युद्ध-भूमि में सैन्य संचालन के लिए जाना पड़ा था।

मनसबदारों की नियुक्ति, पदवृद्धि अथवा पदच्युत करने का अधिकार सम्राट को ही था। मनसबदारों की क्रमशः पदवृद्धि की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह पूर्णतः सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। यदि सम्राट किसी सरदार की योग्यता से प्रभावित हो जाता था तो थोड़े समय में उसे सैकड़ों मनसबदारों के ऊपर पहुँचा सकता था। ऊँचे मनसब

Scanned with CamScanner

Page 3

तक पहुँचने के लिए किसी मनसबदार को मनसब की छोटी श्रेणियों को एक-एक कर पार करना आवश्यक नहीं था। इसी प्रकार अप्रसन्न या अयोग्य होने पर उससे मनसब छीनी जा सकती थी। अतः मनसबदार हमेशा सम्राट की चाटुकारिता में लगे रहते थे।

मनसबदारों को नगद तथा जागीर के रूप में दोनों तरह से वेतन दिया जाता था। यद्यपि अकबर नगद वेतन के रूप में देना अधिक पसन्द करता था, परन्तु वह जागीर-प्रथा को समाप्त नहीं कर सका। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित वेतन मिलता था! जिससे वह अपने सैनिक दल का व्यय तथा सैनिकों का वेतन आदि देता था, परन्तु राज्य की ओर से उन्हें इतनी राशि मिलती थी कि सैनिकों को वेतन देने के पश्चात भी वे ऐश-आराम की जिन्दगी व्यतीत करते थे।

मनसबदारों के बीच जब्ती प्रथा का प्रचलन था अर्थात मनसबदार की मृत्यु के पश्चात उसकी सारी सम्पत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली जाती थी।

किसी भी ऊँचे या बड़े मनसबदार के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह राज्य में ऊँचे पद पर नियुक्त किया जाय। छोटे मनसबदार भी ऊँचे पद पर नियुक्त हो सकते थे। उदाहरण-स्वरूप राजा मानसिंह सतहजारी मनसबदार थे, फिर भी वे दरबार में कभी भी मंत्री पद

को प्राप्त नहीं कर सके, जबकि अबुलफजल थोड़ा मनसबदार होते हुए भी दरबार में नव-रत्नों में से एक था।

मनसबदारों की अनेक श्रेणियाँ थीं यानी कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 7000 तक का मनसब दिया जाता था। अबुलफजल के अनुसार अकबर के मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ थीं। कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 7000 तक के मनसब प्रदान किए जाते थे। पाँच हजार से ऊपर के मनसब का पद राजकुमारों के लिए सुरक्षित रहते थे, परन्तु व्यवहार में मनसबदारों की केवल 33 श्रेणियाँ थी।

प्रत्येक मनसबदार को सरकारी नौकरी देना अनिवार्य नहीं था। ऐसे अनेक मनसबदार नियुक्त किये गये कि उन्हें सम्राट की सेवा में आवश्यकता पड़ने पर ही उपस्थित होना पड़ता था, तथा सम्राट द्वारा बताये गये कार्य करना पड़ता था।

मनसबदारों की पदोन्नति एवं अवनति के अलावा बादशाह उनका तबादला भी करता था, जिससे कि उनके विद्रोहात्मक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

मनसबदारों का वर्गीकरण — अकबर के शासन-काल में मनसबदारों के तीन वर्ग थे — (i) 10 से 400 तक का मनसबदार, (ii) 500 से 2500 तक के मनसबदार जिन्हें उमरा कहा जाता था। (iii) 3000 या उससे ऊपर का मनसबदार

Scanned with CamScanner

पत्रांक ....   दिनांक ....

जिन्हें उमरा-ए-आजम कहा जाता था। 5000 और ऊपर के सभी मनसब सम्राट के निकट सम्बन्धियों को ही प्रदान किए जाते थे, किन्तु राजा मानसिंह तथा राजा जसवन्त सिंह को 7000 का मनसब दिया गया तो 8000 तथा उससे अधिक के मनसब शाही घराने के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित कर दिए गये। पाँच हजारी तथा उसके नीचे का प्रत्येक मनसबदार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में विभक्त थे। इन श्रेणियों को ठीक ढंग से समझने के लिए जात एवं सवार शब्द को समझना अनिवार्य होगा। जात वाली संख्या द्वारा मनसबदार का वर्ग निश्चित होता था और उस वर्ग में विभिन्न वेतन क्रमों में से किसी एक का निरूपण करने के लिए उसको इस वर्ग के भीतर एक प्रथम श्रेणी में रखा जाता था और इसका निर्देश उसके सवार की संख्या से होता था। यदि जात और सवार की संख्या समान हो अर्थात 4000 जात, 4000 सवार तो वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। यदि उसके सवार की संख्या जात की संख्या की आधी या उससे अधिक हो जैसे 4000 जात और 2500 सवार तो वह द्वितीय श्रेणी का चार हजारी मनसबदार होता था। यदि सवार की संख्या जात की संख्या से आधी से कम हो यानी 4000 जात, 1500 सवार तो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। मनसबदार का वेतन भी जात एवं सवार के आधार पर ही निश्चित होता था।

मनसबदारी प्रथा के दोष (Defects of Mansabdari System)

मनसबदारी प्रथा में अनेक दोष भी परिलक्षित होते हैं जो निम्न हैं।

1. मनसबदार सैनिकों एवं घोड़ों आदि को निर्धारित संख्या में नहीं रखते थे। निरीक्षण के समय वे अपने निजी नौकरों तक को सैनिक वर्दी पहनाकर खड़ा कर देते थे।
2. मनसबदारों के सैनिक सम्राट के प्रति स्वामीभक्त न होकर, मनसबदार के प्रति स्वामीभक्त होते थे, क्योंकि उनकी बहाली मनसबदारों के द्वारा की जाती थी।
3. मनसबदारों को जो वेतन दिया जाता था, वह उनके खर्च से कहीं ज्यादा होता था जो कि मनसबदार सेना के रख-रखाव पर खर्च करते थे, अतः सरकारी कोष को हानि होती थी।
4. मनसबदारी प्रथा में सैनिकों के अनुशासन एवं युद्ध-पद्धति आदि में एकरूपता नहीं रह पाता था, इतना ही नहीं युद्ध संचालन एवं अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में भी भिन्नता रहती थी।
5. सम्पत्ति अपहरण के कारण मनसबदार अपने जीवन-काल में ही सम्पत्ति का अधिकाधिक उपयोग करना चाहते थे, इससे उनमें विलासिता की भावना दिन-प्रति-प्रति बढ़ती जा रही थी। धीरे-धीरे वे अपने कर्तव्य से अलग हटकर

Scanned with CamScanner

धन की अधिकता के कारण सुरा-सुन्दर
में अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे।

6. स्वार्थ से वशीभूत होकर और पैसे बचाने
ख्याल से मनसबदार बहुधा अच्छी न
के घोड़े के स्थान पर घटिया किस्म के घो
को खरीदने लगे थे।

सैनिक व्यवस्था — अहदी सेना — अहदी सेन
के सभी सैनिक घुड़सवार होते थे। इनकी नियु
समाप्त स्वयं करता था। इन सैनिकों को नगद
के रूप में वेतन दिया जाता था।

दाखिली सेना — राज्य की ओर से भर्ती
इन सैनिकों की भर्ती होती थी, तथा इन्हें रा
की ओर से ही वेतन मिलता था।

स्थायी सेना — अकबर एक महान विजेता
था। अपने विजय अभियानों को सफल बनाने
हेतु उसने एक स्थायी सेना का भी संगठन
किया था। इनकी संख्या लगभग 25000 थी।
इसके अन्तर्गत — पैदल सेना, घुड़सवार,
तोपखाना, गजसेना एवं हस्ति सेना थी।

— X —

Scanned with CamScanner